

NHRC steps in after boy allegedly beaten up by cop

EXPRESS NEWS SERVICE @ New Delhi

THE Delhi Commission For Protection of Child Rights (DCPCR) has issued a notice to the police after a 15-year-old boy was allegedly beaten up by a police constable in the Govindpuri in the capital.

The commission said it has received a complaint from a resident of Nehru Camp in Kalkaji that his son was assaulted by a constable of the Govindpuri police station around 8 pm on Monday.

The man alleged his son was slapped by the constable in front of all the neighbours at Nehru Camp. He claimed that the boy was locked inside the police booth, thrashed with a

baton and later sent home, the notice stated.

According to the panel, it was also alleged that the constable was not in uniform and was in an inebriated state when the alleged incident happened.

The rights panel said it has instituted an inquiry and has also issued a notice directing the SHO of the Govindpuri police station to submit the CCTV footage of the police station by Wednesday.

“Let it be noted that the SHO shall be held personally liable if any damage or edit to footage is made,” it added.

The rights panel has also summoned the police constable to appear before it by 4 pm on Wednesday.





आयोग ने दुष्कर्म मामले का लिया संज्ञान

जासं, पलवल: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर द्वारा नीमका जेल में बंद पति की मदद करने के बदले महिला से दुष्कर्म के बारे में मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर छह सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, हरियाणा के सदस्य सचिव को भी जेल में महिला के पति को लंबे समय तक कैद रखने के मामले की जांच कर आठ सप्ताह में रिपोर्ट भेजने को कहा है।

गर्भवती की मौत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वजन को दिलाई 29 महीने बाद आर्थिक मदद

मोहम्मद बिलाल • नोएडा

गाजियाबाद की गर्भवती को इलाज के लिए टरकाने वाले जिला अस्पताल ने लापरवाही से मौत के मामले में पांच लाख रुपये का मरहम लगाया है। मृतक गर्भवती के स्वजन ने 13 घंटों तक तीन सरकारी और पांच निजी अस्पतालों के चक्कर लगाए थे, लेकिन कोरोना के डर से किसी ने गर्भवती को भर्ती नहीं किया था। समय पर उपचार के अभाव में गर्भवती की मौत हो गई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की फटकार के बाद जिला अस्पताल की ओर से स्वजन को पांच लाख रुपये की आर्थिक मदद दी गई है।

5 जून 2020 को उपचार के अभाव में गाजियाबाद के खोड़ा की रहने वाली आठ माह की गर्भवती नीलम की



मृतका नीलम • सौ. स्वजन

- इलाज के अभाव में आठ माह की गर्भवती महिला की मौत का मामला
- 5 जून 2020 को हुई थी मौत, अब जिला अस्पताल ने दी पांच लाख की आर्थिक मदद

पत्नी के साथ मिलकर गाजियाबाद में किशतों पर मकान खरीदा था। लेकिन घटना के बाद से दिल्ली में किराये के मकान में रह रहा हूँ। पत्नी की जान की कीमत विभाग पैसे से कभी अदा नहीं कर सकता है। अस्पतालों की लापरवाही से मैंने पत्नी को खोया है।

- बिजेंद्र सिंह, मृतका नीलम के पति

मौत हो गई थी। पति बिजेंद्र सिंह का आरोप है कि वह नोएडा के सेक्टर-24 स्थित ईएसआइसी, सेक्टर-30 स्थित जिला अस्पताल, शिवालिक, फोर्टिस, शारदा, जेपी, ग्रेटर नोएडा स्थित जिम्स एवं गाजियाबाद के मैक्स अस्पताल के चक्कर काटते रहे, लेकिन अस्पतालों ने आठ माह की गर्भवती पत्नी का उपचार नहीं किया था।

गेट से पत्नी को टरकाते रहे। ईएसआइसी अस्पताल में वेंटिलेटर की सुविधा के

बावजूद पत्नी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया था। एंबुलेंस चालक जिला अस्पताल के डाक्टर को जानकारी दिए बिना पत्नी को अस्पताल गेट पर छोड़कर चला गया था।

जिला अस्पताल के डाक्टरों ने पत्नी को हायर सेंटर रेफर कर दिया था। यहां एक स्टाफ नर्स एवं वार्ड आया के स्तर से लापरवाही बरती गई थी। दूसरी ओर निजी अस्पतालों ने बेड नहीं होने की बात का झूठा हवाला देकर पत्नी को रेफर किया था। पहली बार में जिम्स गए थे, तो कर्मचारियों द्वारा वापस कर दिया गया था। दूसरी बार जबतक भर्ती किया जाता, तब तक देर हो चुकी थी। जिलाधिकारी सुहास प्लवाई ने उत्तर प्रदेश शासन और प्रदेश एवं केंद्रीय श्रम विभाग को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था।

पत्र लिखने के दिन तत्कालीन सीएमएस डा. वंदना शर्मा और ईएसआइसी के तत्कालीन निदेशक डा. अनीश सिंघल का तबादला हो गया था। मामले का एनएचआरसी ने भी संज्ञान लिया था। करीब दो वर्ष बाद अब स्वजन को आर्थिक मदद दी गई है।

मानवाधिकार आयोग का हरियाणा सरकार से जवाबतलब

चंडीगढ़, वार्ता। हरियाणा में पलवल के एक पुलिस निरीक्षक द्वारा कथित रूप से जेल से पति को छुड़ाने का झूठा आश्वासन देकर एक महिला से पांच लाख रुपये वसूलने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हरियाणा सरकार से जवाबतलब किया है। आयोग ने आज यहां जारी एक वयान में बताया कि एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए यह नोटिस जारी किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार क्राइम ब्रांच निरीक्षक ने पीड़िता के जेल में बंद पति को छुड़ाने में मदद का आश्वासन देकर उससे पांच लाख लिये और उसके साथ दुष्कर्म किया।

आयोग के अनुसार नोटिस हरियाणा के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को दिया गया है और छह सप्ताह में रिपोर्ट मांगी गई है।

मुख्य सचिव, डीजीपी को एनएचआरसी का नोटिस

सख्ती

नयी दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मंगलवार को अपराध शाखा के एक निरीक्षक द्वारा पलवल में एक महिला के जेल में बंद पति की मदद के नाम पर दुष्कर्म किए जाने की खबरों पर मुख्य सचिव और राज्य के पुलिस प्रमुख को नोटिस जारी किया है।

एनएचआरसी ने कहा कि यदि खबर सही है तो यह लोक सेवक द्वारा पीड़िता के मानवाधिकार उल्लंघनों के समान है। उन्होंने कहा कि

एनएचआरसी ने मीडिया की इस खबर का स्वतः संज्ञान लिया है कि पलवल में अपराध शाखा के एक निरीक्षक ने एक महिला के जेल में बंद पति की मदद करने के नाम पर उसके साथ दुष्कर्म किया। आयोग ने हरियाणा के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर छह सप्ताह के भीतर रिपोर्ट तलब की हैं। रिपोर्ट में कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के बारे में इस तरह की शिकायतों के संबंध में पिछले एक साल का ब्योरा होना चाहिए। नाकामी के कारणों के संबंध में भी रिपोर्ट जमा करनी होगी।



हरियाणा के मुख्य सचिव और डीजीपी को मानवाधिकार आयोग का नोटिस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 नवंबर।

अपराध शाखा के एक निरीक्षक द्वारा पलवल में एक महिला के जेल में बंद पति की मदद के नाम पर कथित तौर पर उससे बलात्कार किए जाने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है।

घटना की खबर का खुद संज्ञान लेते हुए आयोग ने मंगलवार को यह कदम उठाया। आयोग ने कहा है कि यदि खबर सही है तो यह एक लोक सेवक द्वारा पीड़िता के मानवाधिकार उल्लंघनों के समान है। आयोग ने हरियाणा के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर छह हफ्ते के भीतर रिपोर्ट तलब की है।

मुख्य सचिव से इस सूचना की उम्मीद की

अपराध शाखा के एक निरीक्षक द्वारा पलवल में एक महिला के जेल में बंद पति की मदद के नाम पर कथित तौर पर उससे बलात्कार किए जाने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है।

गई है कि क्या कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 में तैयार किए गए दिशानिर्देशों को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी किए गए हैं। क्या पुलिस बल समेत सार्वजनिक कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समिति बना कर इसके तहत नियम बनाए गए हैं।

रिपोर्ट में कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के बारे में इस तरह की शिकायतों के

संबंध में पिछले एक साल का ब्योरा मांगा है। पुलिस महानिदेशक को विशाखा मामले में तय दिशा-निर्देशों का पालन नहीं होने और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत जांच शुरू करने की असमर्थता के लिए हरियाणा पुलिस की संस्थागत प्रणाली की नाकामी के कारणों के संबंध में रिपोर्ट जमा करनी होगी, जिसमें कार्रवाई रिपोर्ट भी शामिल हो।

आयोग के अनुसार, रिपोर्ट में आरोपी निरीक्षक के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले की अद्यतन स्थिति पर जानकारी शामिल होनी चाहिए जिसमें विभिन्न दंडनीय कानूनों के तहत लागू प्रावधानों का उल्लेख हो। साथ ही यह भी बताया जाए कि क्या गिरफ्तारी की गई है, यदि नहीं, तो आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं।

